न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 26/2023(2023/180)

1. कालू पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति माली
2. रूपचन्द पुत्र स्व0 श्री श्रवण जाति माली
   निवासी भैरू का खेजडा रोड, ग्राम कायड तहसील अजमेर
3. श्रीमती जसोदा पुत्री स्व0 श्री श्रवण जाति माली निवासी चैनपुरा जयपुरा रोड, किशनगढ तहसील किशनगढ
4. श्रीमती रामा पुत्री स्व0 श्री श्रवण जाति माली निवासी अराई रोड, मालियो का वाडियया किशनगढ तहसील किशनगढ
5. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 श्री श्रवण जाति माली निवासी अराई रोड, मालियो का वाडिया किशनगढ तहसील किशनगढ

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती प्रमिला मिश्रा पत्नी स्व0 श्री दिवाकर मिश्रा
2. नितिन मिश्रा पुत्र स्व0 श्री दिवाकर मिश्रा
3. विवेक मिश्रा पुत्र स्व0 श्री दिवाकर मिश्रा
4. अंजली पुत्री स्व0 श्री दिवाकर मिश्रा
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ई 158 एक्सटेन्शन के पास, शास्त्री नगर, अजमेर जरिये मुख्त्यार आम श्री रमेश चन्द जैन पुत्र स0 श्री प्रेमचन्द जैन निवासी 11/31 (286/19) जेनको निवास नगरा, नसीराबाद रोड, अजमेर तहसील अजमेर
5. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग, जनाना अस्पताल रोड, अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 01.04.1992 ग्राम कायड तहसील अजमेर के विरूद्व अपील

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिह चौहान — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री देवीसिह रावत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री औमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 17.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष को अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया । वकील अपीलान्ट ने अपने अपील में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि वर्किंग खसरा नम्बर 2922 मिन रकबा 04–01–10 किस्म बारानी 3 जो ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसमें श्री श्रवण पुत्र सांवला का

जिला कलक्टर
अजमेर

1/5 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार दर्ज है श्री श्रवण पुत्र सांवला का स्वर्गवास हो चुका है कि जिनके वारिस अपीलार्थीगण ही है, अपीलार्थीगण के पिता श्री श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा उनके जीवनकाल में अपने 1/5 हिस्से की अपीलाधीन भूमि कि जिसे श्री दिवाकर मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा जाति बाहाण को कीी बेचान ही नही की गई, परन्तु श्री दिवाकर जी मिश्रा के द्वारा फर्जी एवु कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1992 कि जिसमें अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला का फर्जी अंगूठा लगाकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया गया जबकि श्री श्रवण पुत्र सांवला शुरू से ही हस्ताक्षर ही करते थे जबकि श्री दिवाकर मिश्रा को हमारे पिता श्रवण कि जिनका 1/5 हिस्सा की भूमि कि जिसे कीी बेचान ही नही की गई, श्री दिवाकर मिश्रा का स्वर्गवास हो चुका है के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 है इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण जो कि फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र के आधारपर रेस्पोडेन्ट संया 05 के द्वारा हमारे पिता श्रवण को बिना सूचित किए स्वीकृत किया गया, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 01.04.1992 के विरूद्व यह अपील निम्न आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त हेतु प्रस्तुत है। अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व एवं फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन भूमि जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 2922 मिन रकबा 04–01–10 किस्म बारानी 3 ग्राम कायड तहसील अजमेर में स्थित है जिसमें अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला का 1/5 हिस्सा के खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार दर्ज, अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा अपीलाधीन भूमि जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता श्री दिवाकर मिश्रा को कभी बेचान ही नही की गई परन्तु दिवाकर मिश्रा के द्वारा दिनांक 27.03.1982 के तथाकथित विक्रय पत्र जो भंवरलाल वगैरह से सांठगांठ कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता दिवाकर मिश्रा के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता श्रवण का फर्जी अंगूठा लगाकर विक्रय पत्र दिनांक 27.03. 1992 को करवाया गया, जबकि अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा उनके 1/5 हिस्से की भूमि जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता दिवाकर मिश्रा को कभी बेचान ही नही की गई, जबकि श्री श्रवण पुत्र सावंला जो कि उनके जीवनकाल तक सभी कागजो पर हस्ताक्षर ही करते थे, श्री श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा किया गया पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 07.01.1987 श्रीमती कमला देवी पत्नी नेमीचन्द के पक्ष में कि जिस परश्री श्रवण के द्वारा हस्ताक्षर ही किए गए इसी प्रकार एक अन्य विक्रय पत्र जो कि श्री श्रवण जी के द्वारा दिनांक 29.04.1988 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता श्री दिवाकर मिश्रा को खसरा नम्बर 2922 मिन कबा 04–10–10 की भूमि जिसके खातेदार श्री श्रवण पुत्र सांवला ही थे, के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता श्री दिवाकर मिश्रा को बेचान की गई कि इस विक्रय पत्र पर ीी अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, यहा तक कि श्री दिवाकर मिश्रा जी को यह पूर्ण जानकारी थी कि श्री श्रवण पुत्र सांवला हस्ताक्षर ही करते थे के बावजूद तााकथित विक्रय पत्र दिनांक 27.3.1992 को श्री भंवरलाल व अन्य से सांठगांट कर अपीलार्थीगण के पिता श्रवण

जिला कलक्टर
अजमेर

का फर्जी अंगूठा लगाकर फर्जी व कूटरचित क्रिय पत्र के आधार पर अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में अपीलाधीन नामान्तकरण जो स्वीकृत किया गया, प्रारम्भ से शून्य है अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला को कोई सूचना ही नही दी गई एवं तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी एवं कूटरचित है जिसकी अधिनस्थ अधिकारी के द्वारा कोई जांच ही नही की गई, कब्जे आदि की कोई रिपोर्ट ही तलब नही की गई जबकि अपीलाधीन भूमि के 1/5 हिस्से की भूमि पर श्री श्रवण पुत्र सावला के जीवनकाल तक श्रवण ही काबिज थे एवं इनके स्वर्गवास के पश्चात आज दिवस तक अपीलार्थीगण जिन्है विरासत में प्राप्त हुई विधिक एवं भौतिक काबिज है ऐसी अवस्थिा में अपीलाधीन नामानतकरण जो कि भू राजस्व नियम 131 से 135 के नियमो के प्रतिकूल एवं अधिनस्थ अधिकारी के क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 01.04.1992 ग्राम कायड तहसील अजमेर को निरस्त किए जावे।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने दोराने बहस में निवेदन किया गया कि अपीलाट द्वारा नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 01.04.1992 को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त अपील के माध्यम से चुनौति प्रदान की है तथा वादग्रस्त आराजियात में श्रवण पुत्र सांवला का 1/5 हिस्सा निहित है तथा अपीलाट द्वारा अपनी उक्त अपील के माध्यम से श्रवण पुत्र सांवला के पक्ष में तस्दीक 1/5 हिस्से को ही निरस्त करवाना चाहा गया जो किसी प्रकार से संभव नही है तथा उक्त अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया । अपोलांट द्वारा अपील के साथ सलग्न मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का निवेदन किया गया । वकिल रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नही की गई। न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है दिवाकर मिश्रा के द्वारा दिनांक 27.03.1992 के तथाकथित विक्रय पत्र जो भंवरलाल वगैरह से सांठगांठ कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता दिवाकर मिश्रा के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता श्रवण का फर्जी अंगूठा लगाकर विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1992 को करवाया गया, जबकि अपीलार्थीगण के पिता श्रवण पुत्र सांवला के द्वारा विवादित भूमि जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता दिवाकर मिश्रा को कभी बेचान ही नही की गई, जबकि श्री श्रवण पुत्र सावंला जो कि उनके जीवनकाल तक सभी कागजो पर हस्ताक्षर ही करते थे, और फर्जी अगूठा लगाकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1992 को आज दिनांक

जिला कलक्टर
अजमेर

तक सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नही करवाया गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.1992 विधि अनुसार प्रभाव में तथा सबंधित सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 01.04.1992 उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया जिसमें हाजा न्यायालय किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। नामान्तरकरण एक फिरकल प्रोसिडिंग कार्यवाही है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। लिहाजा पूर्णरूपेण विधि अनुरूप पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपीलान्ट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

परिणामतः अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन एवं भारहीन होने से खारिज कि जाती है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर